

Non Judicial



**Indian-Non Judicial Stamp
Haryana Government**



Date : 16/02/2017

Certificate No. TBP2017B65



GRN No. 24248548



Stamp Duty Paid : ₹ 5500
(Rs. Only)

Penalty : ₹ 0

(Rs. Zero Only)

Seller / First Party Detail

Name: Jagbir Singh

H.No/Floor : 0

Sector/Ward : 0

LandMark : 0

City/Village : Sisana

District : Sonapat

State : Haryana

Phone: 9215634864



Buyer / Second Party Detail

Name : Jb Educational Society

H.No/Floor : 0

Sector/Ward : 0

LandMark : 0

City/Village : Kharkhoda

District : Sonapat

State : Haryana

Phone : 9215634864

Purpose : pattanama

The authenticity of this document can be verified by scanning this QRCode Through smart phone or on the website <https://egrashry.nic.in>

पट्टानामा जमीन जरई मालयति 60,000/-साठ हजार रूपये सालाना अर्सा तीस साल
स्टाम्प मालयति 5500/-रु० जी.आर.एन नम्बर 24248548 सर्टिफिकेट नंबर TBP2017B65 दिनां
16-02-2017 द्वारा अजनाम जितेन्द्र सिंह पुत्र दिलबाग सिंह निवासी सिसाना द्वारा जमा हुये हैं।
मैं जोकि जगबीर सिंह पुत्र श्री महासिंह पुत्र देशा निवासी ग्राम सिसाना तहसील खरखौदा जिला सोनीपत का हूँ
जो कि जमीन जरई 15 कनाल 12 मरले खेवट नंबर 986 मिन, 1111मिन खाता नंबर 1112 मिन, 1253 मि
मुन्द्रजा मुस्सतील व किला नंबर:-

49

76

20/2

21/1

1/1

10/1

4-16

4-4

4-4

2-8

निरन्तर-2-

किते तादादी 4 किस्म नहरी जमाबन्दी साल 2013-2014 वाका रकबा मौजा खरखौदा तहसील खरखौदा जिला सोनीपत हकियत व मिलकियत मेरी है । जो कि आज तक हर प्रकार के भार से मुक्त है। इसें कब्जा दखल वाकई व मालकाना खुद में रखता हूँ । काबिज व अधिकारी हूँ । जमीन हजां बरूवे तकसीम इन्तकाल नंबर 9991 तिथी मन्जुर शुद्धा 03-02-2017 की रूह से मेरे हिस्से में आई हुई है। इसके प्रति मुझे हर प्रकार के इन्तकाल का हक हासिल है । कोई मनाई पटटानामा नहीं है ।

अतः अब मैंने उपरोक्त जमीन बरकबा 15 कनाल 12 मरले मजकूरा बाला ममलूका हक हकूक रास्ता आदि को वास्ते शिक्षा उद्देश्य के लिए मु. 60,000/-साठ हजार रुपये सालाना जरे लगान पर हमराह जे बी एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसायटी द्वारा प्रधान जितेन्द्र सिंह पुत्र दिलबाग सिंह निवासी सिसाना तहसील खरखौदा जिला सोनीपत को अर्सा तीस साल दिनांक 16-02-2017 से 15-02-2047 तक पटटे पर दी है। इसका अरसा एक साल का जरे लगान पहले घर पर लेकर वसूल पा लिया है आगे के सालों का जरे लगान साल ब साल बजरिये रसीद अदा होता रहेगा बिला रसीद अदायगी नहीं मानी जाएगी। कब्जा वाकई मौके पर पटटेदार का करा दिया है अपना कब्जा उठा लिया है। इकरार यह है कि पटटेदार जमीन हजां में मिट्टी डाले, बिल्डिंग बनावे, टयूबवैल लंगावे, चारदिवारी करे, बिजली कनेक्शन लेवे, खेल मैदान बनावे, दफतर बनावे, आने जाने के लिए रास्ता बनावे जिसमें मेरा कोई एतराज नहीं होगा यानि पटटेदार शिक्षा समीति के लिए हर प्रकार से प्रयोग कर सकेगा । पटटेदार किसी भी विभाग से किसी भी प्रकार की एनओसी शिक्षा समीति खोलने के प्रति ले सकेगा हर प्रकार से उपरोक्त संस्था के प्रति ऋण सम्बन्धी कार्यवाही करे जिसमें मेरा एतराज नहीं होगा। पटटेदार जमीन हजां को आगे किसी अन्य व्यक्ति को या संस्था आदि को पटटे पर देवे जिसमें मेरा एतराज नहीं होगा। दाखिल खारिज दर्ज व मन्जूर करा दूँगा। बाद मियाद अरसा तीस साल बाद पटटेदार कब्जा नहीं रख सकेगा खाली करके जमीन को वापिस जमीन मालिक करने का जिम्मेवार होगा कब्जा नहीं रख सकेगा ।

अतः यह पटटानामा जमीन जरई इकरार अपने से लिखा दिया कि सनद हो और समय पर काम आवे फंकत तिथि 17.02.2017 मुताबिक 30 माघ 1938 शाकावार मंगलवार लेखक अनिल धनखड एडवोकेट, रजि. नं. 2 सीरियल नं. 860

पटटादेहिन्दा
जगबीर सिंह

पटटाग्रेहिता
जे बी एजुकेशनल एण्ड
वेलफेयर सोसायटी
द्वारा प्रधान
जितेन्द्र सिंह

साक्षी दयानन्द नम्बरदार पुत्र मोजीराम दिनेश कुमार पुत्र कृष्णलाल
निवासी खरखौदा

साक्षी En. No. P/2183/2014
Court Campus Karnkhoda

निवासी खरखौदा

निवासी खरखौदा